कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **श्री कृष्ण कुमार (कर अधिवक्ता)60 प्रथम तल दुर्गा टॉवर ,आ0डी0 सी0 राजनगर,गाजियाबाद ।**

प्रा0प0सं0- **299/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री कृष्ण कुमार ,अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 06-08-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न प्रश्नो का उत्तर चाहा गया हैः-

1- क्या ग्रिट में रोड़ी-गिट्टी बजरी को भी सम्मिलित माना जाय एवं कर देयता4% ही मानी जाय ?

2-क्या मौरंग का पर्यावाची शब्द बदरपुर है एवं कर देयता4% ही मानी जाय ?

3-क्या स्टोन डस्ट पर कर देयता4% ही मानी जाय ?

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री कृष्ण कुमार ,अधिवक्ता उपस्थित हुयें व उन्होनें उक्त प्रश्नो की जानकारी देने का अनुरोध किया ।

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्नो का उत्तर निम्नवत् दिया जाता हैः-

क्रमांक-1

कमिनर वाणिज्य कर द्वारा सर्वश्री आर0एस0के0कान्ट्रैक्टरर्स,58ईदगाह,कालोनी, (प्रा0प0सं0-233/2008)के वाद में पारित आदेश दिनांक 08-08-2008 में 90 mm. तक के स्टोन को ग्रिट की श्रेणी में मानते हुये वैट अधिनियम की अनुसुची-2के भाग-क के क्रमांक 109 पर " River sands and grit." की प्रविष्टि के अधीन 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।इससे बड़े पत्थर वैट अधिनियम की अनुसूची 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

क्रमांक 2 व 3

माइन सैन्ड (बदरपुर) व स्टोन डस्ट पर वैट अधिनियम की अनुसूची 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5% की दर से करदेयता है।

4- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 18 ,सितम्बर,2008

ह0/18-9-08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।